


--:आदेश:-

वर्तमान में कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि के साथ मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। मरीजों के उपचार हेतु Liquid Oxygen की आवश्यकता/खपत अधिक मात्रा के साथ ऑक्सीजन की मांग बढ़ गयी है। उक्त के क्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति मांग अनुसार जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित एजेन्सी/सप्लायर को अधिकृत किया जाता है-

क्र०सं०	ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता एजेन्सी/सप्लायर का नाम व पता	मोबाईल नम्बर
1	अम्बिका गैस सप्लायर, कांवली रोड देहरादून। सुरेन्द्र अग्रवाल	9219504642
2	राजीव गैस सप्लायर, 35/4 सुभाष रोड देहरादून श्री राजीव नागलिया	9719108235
3	मार्डन गैस सप्लायर, निकट प्रिंस चौक देहरादून। सुमित वर्मा	9557138967
4	गुप्ता गैस सप्लायर, निरंजनपुर माजरा, देहरादून आयुष गुप्ता	9897407626
5	भारत ऑक्सीजन, लक्खीबाग/सैलाकुई, देहरादून अंकुर सिंघल	9412075594
6	कोहली एयर प्रोडक्ट्स, साई मंदिर के पीछे मौजा माजरीग्रान्ट, लालतपड इन्डस्ट्रीयर एरिया, डोईवाला विजय कोहली एण्ड कम्पनी, देहरादून रोड ऋषिकेश, विजय कोहली	9719666997
7	डी०एस० नेगी, देहरादून रोड ऋषिकेश	9837094267
8	डी०एम० गैस, देहरादून रोड ऋषिकेश, रणजीत सिंह	9895182977
9	बालाजी गैस, चन्द्रभागा पुल ऋषिकेश	9897182424
10		9897530007

उपरोक्त एजेन्सी/सप्लायर को निर्देशित किया जाता है कि ऑक्सीजन जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित मांगकर्ता का नाम, पता, आई०डी०, मोबाईल नं० व कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट मय चिकित्सक द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता दर्ज की गयी हो के आधार पर दर अपने दुकान पर चस्था करते हुये निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार विवरण दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा उल्लंघन की दशा में सम्बंधित के विरुद्ध Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020, Epidemic Diseases Act 1897 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही कर दी जायेगी।


(डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।

संख्या 5124 /डी०डी०एम०ए०-को० अधि०/2020-21

दिनांक 26 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।